

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 1490

मंगलवार, 14 मार्च, 2023/23 फाल्गुन, 1944 (शक)

पुरानी पेंशन योजना से संबंधित मामले

1490. श्री नीरज शेखर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या व्यय विभाग ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) द्वारा जनवरी, 2023 में भेजे गए तीसरे संदर्भ के जवाब में फरवरी, 2023 के दौरान पुरानी पेंशन योजना के तहत उन कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सामान्य आदेश जारी करने की पुनः सहमति दी है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 22.12.2003 के बजाय 01.01.2004 से पहले जारी किए गए थे;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या व्यय विभाग (डीओई) ने भी इसके लिए जारी किए जाने वाले कार्यालय ज्ञापन की जांच की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)से (घ): व्यय विभाग ने उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में कवर करने के लिए सामान्य आदेश जारी करने की स्वीकृति दी है जिनके भर्ती विज्ञापन 01.01.2004 के बजाय 22.12.2003 से पूर्व जारी हुए थे। विभाग ने मसौदा आदेश को भी स्वीकृति दी है।

Ministry of Finance

Department of Expenditure

RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO.1490

TO BE ANSWERED ON Tuesday, March 14, 2023/ 23 Phalguna, 1944 (Saka)

Matters related to old Pension scheme

QUESTION

1490: Shri Neeraj Shekhar:

Will the Minister of *Finance* be pleased to state:

- (a) whether Department of Expenditure has given its concurrence again during February,2023 in response to 3rd reference in January,2023 by Department of Pension & Pensioners Welfare (DoP&PW) to issue general orders to cover those employees under Old Pension Scheme whose advertisements for recruitment were issued before 01.01.2004 instead of 22.12.2003;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether Department of Expenditure (DoE) has also vetted the OM to be issued for the same; and
- (d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE

(SHRI PANKAJ CHOUDHARY)

- (a) to (d) Department of Expenditure has given its concurrence on 07.02.2023 to issue general orders to cover those employees under Old Pension Scheme whose advertisements for recruitment were issued before 22.12.2003 instead of 01.01.2004. This Department has also approved the draft order.
